प्रेस नोट 18.09.2020

अवैध रूप से बेची जा रही दो ट्रकों में लदी 182 पेटी मछली बरामद–

दिनांक 17.09.20 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कि एनएच पर दोहरीघाट पुलिस बूथ के पास से दो ट्रकों क्रमशः (एपी 16 टीएफ 5966) व (एपी 16 टीएच 1577) में लदी 182 पेटी अवैध मछली बरामद किया गया इस दौरान जबकि आरोपी अभियुक्त राजेश सोनकर निवासी बड़हलगंज गोरखपुर, राकेश सोनकर व त्रिलोकी सोनकर निवासी दोहरीघाट भागने में सफल रहे।

उल्लेखनीय है कि पुलिस बूथ दोहरीघाट से घाघरा नदी की तरफ गोरखपुर जाने वाले मुख्य मार्ग पर दो ट्रक खड़े थे जहां कुछ व्यक्तियों की भीड़ लगी थी, ट्रकों में हैदराबाद की बर्फ लगी मछलियां पेटियों में लदी हुयी थी जिससे जनजीवन के आवागमन में ट्रकों से गिरने वाले मछलियों का गंदा पानी इस कोरोना महामारी के दृष्टिगत और भी बिमारियां तथा संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना थी। ट्रकों से मछलियों की पेटियों को पिकअप में लादकर अलग–अलग स्थानों पर भेजा जा रहा था तथा मछलियों के कारोबार का कोई वैध लाइसेंस भी नही था। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 424/20 धारा 188,269 भादवि, 3 महामारी अधि0, 5/8 पर्यावरण संरक्षण अधि0 व 3/63 खाद्य सुरक्षा व मानक अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 18.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 396/19 धारा 419,420,467,384,120बी भादवि0 व 7/13 भ्र0अ0 में वांछित अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र सहजू यादव निवासी चेरूईडीह थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 344/20 धारा 354क भादवि0 व 7/8 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त मून्नू चौहान पुत्र रवीन्द्र चौहान निवासी होड़हरा की मठीया थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार–

आज दिनांक 18.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा दीपक सोनकर पुत्र केशव सोनकर निवासी रसूलपुर थाना दोहरीघाट मऊ के कब्जे से 30 लीटर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा मनोज यादव निवासी रसूलपुर मोर्चा थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।